न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 72/24

लिखमाराम पुत्र सोलाराम जाति मेघवाल निवासी रामदेवरा तहसील बीदासर जिला चूरू

बनाम

वादी

1. पीथाराम पुत्र भानीराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भीयाराम पुत्र भानीराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मोटाराम पुत्र भानीराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. मोहनराम पुत्र भानीराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. भंवरी पुत्री भानीराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. रामी पुत्री भानीराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. संतु पुत्री भानीराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. मनोहरीदेवी पत्नि नोलाराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसीलबीदासर जिलाचूरू
9. शंकरलाल पुत्र नोलाराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. राजुदेवी पुत्री नोलाराम जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
11. भंवरीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
12. संतोषकुमार पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसीलबीदासर जिला चूरू
13. सुमन पुत्री मांगीलाल आयु 15 वर्ष जरीये संरक्षिका माता भंवरीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
14. सीता पुत्री मांगीलाल आयु 13 वर्ष जरीये संरक्षिका माता भंवरीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
15. मनोज पत्नि संतोष जाति मेघवाल निवासी कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
16. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
17. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेमचन्द सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 11 ता 15

–: निर्णय :–

दिनांक:– 30-1-25

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 202/95 दो सो दो बट्टा पिचानवे तादादी 3.7433 तीन दशमलव सात चार तीन तीन हेक्टेयर वाके रोही ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 1774/37433 एक हजार सात सो चौहतर बट्टा सेंतीस हजार चार सो तेतीस हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 05.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 17 सतरह के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार रूकमणी पत्नि भानीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस वाद में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 01 एक ता 07 सात संयोजित है। वाद

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत (बीकानेर)

वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 द्वारा अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन चाहा है। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कोठीनडा खसरा संख्या 202/95 तादादी 3.7433 हेक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने चाहते है। अतः तहसीलदार बीदासर से वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 की संयुक्त खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30/1/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अगीलाल यादव, आर.ए.एस.
लिखमाराम बनाम पीथाराम आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:–72/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कोठीनडा खसरा संख्या 202/95 तादादी 3.7433 हेक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने चाहते है। अतः तहसीलदार बीदासर से वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 की संयुक्त खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/1/25

दस्तखत .....

मुहर

ओहदा .....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।